

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 541] No. 541] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त ३, २०१८/श्रावण १२, १९४०

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

## सं. 56/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 740(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, 04 अगस्त, 2018 से दूसरे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:—

"बशर्ते और भी कि.—

- (क) क्रम संख्या 14क के समक्ष की प्रविष्टियां और
- (ख) दूसरा परन्तुक,

18 सितम्बर, 2018 से लागू होंगे"।

[फा. सं. 341/15/2018- टीआरयू] मोहित तिवारी. अवर सचिव

4578 GI/2018 (1)

नोट: प्रधान अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 54/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 20 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 20 जुलाई, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2018

### No. 56/2018-Customs

**G.S.R. 740(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, with effect from the 4th day of August, 2018 the following proviso shall be inserted after the second proviso, namely:—

"Provided also that the,—

- (a) entries against serial number 14A, and
- (b) the second proviso,

shall come into effect from the 18th day of September, 2018".

[F. No. 341/15/2018-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 54/2018-Customs, dated the 20th July, 2018, published, *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 2018.